

आरएफपी संदर्भ सं -आरएफपी/आईटीडी/एनएचबी :आईटी कंसल्टेंसी/8464 /2016

आईटी परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रण

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग  
मुख्य कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक  
कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, इंडिया हैबीटेक सेंटर, लोधी रोड,  
नई दिल्ली -110003  
फोन :011-2462383

ईमेल -[susanta.padhi@nhb.org.in](mailto:susanta.padhi@nhb.org.in); [munish.bhutani@nhb.org.in](mailto:munish.bhutani@nhb.org.in)

## Table of Contents

A. महत्वपूर्ण बोली विवरण .....	4
B. उद्देश्य .....	5
C. वर्तमान सेटअप.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
D. प्रयोजन .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
E. बोलीदाताओं के लिए अनुदेश .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1. सामान्य.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4. निविदा की अहस्तांतरणीयता .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6. बोली दस्तावेजों में संशोधन.....	10
11. कार्यान्वयन अनुसूची .....	13
12. कार्य-निष्पादन गारंटी .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
13. बोली की वैधता अवधि .....	13
14. बोली का प्रारूप तथा हस्ताक्षर.....	14
15. बिडों की सीलिंग एवं विपणन .....	14
16. बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख.....	15
19. बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना .....	15
21. प्रारम्भिक जांच .....	16
22. प्रस्ताव का स्वामित्व .....	16
23. बोलीदाताओं के लिए निर्देश.....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
24. कीमत संघटन एवं व्युत्पन्न .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
25. आर्डर रद्द करना.....	17
26. सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता .....	17
27. नियम पुस्तिकाएं तथा ड्राइंगें.....	17
28. बोली (बिड) का मूल्यांकन .....	17
29. संशोधन एवं वापसी .....	18
30. कीमतों का प्रकटन .....	18
31. बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें .....	18
32. स्थानीय परिस्थितियां .....	18
33. संदर्भ प्रतिष्ठानों का सत्यापन .....	19
34. राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना .....	19
35. प्रस्ताव की सामग्री .....	19
36. प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये आपूर्तिकर्ता .....	19
37. पैकिंग.....	19
38. निरीक्षण एवं परीक्षण .....	19
39. कानूनों का अनुपालन .....	19
40. बौद्धिक संपदा अधिकार .....	20
41. झूठा/अधूरा विवरण .....	21
F. कार्य क्षेत्र.....	21
प्रदेय – चरण 1 (छ: माह).....	26

चरण II: संस्तुतियों का खाका एवं कार्यान्वयन .....	26
च.बिल के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली .....	31
1. भूमिका .....	31
2. न्यूनतम पात्रता मानदंड .....	32
3. तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन.....	33
4. अंक का वितरण .....	34
5. वित्तीय बोली.....	35
i. अंतिम प्रक्रिया .....	35
ख) बोलियों के भारांक निम्नलिखित तालिका के अनुसार है: .....	36
जी. वाणिज्यिक निबंधन व शर्तें .....	36
1. आरएफपी की लागत .....	36
2. मुद्रा .....	36
3. मूल्य .....	36
4. स्वीकरण .....	37
5. भुगतान की शर्तें.....	37
6. अनुबंध की समाप्ति के मामले में भुगतान .....	37

क. महत्वपूर्ण बोली विवरण		
क.	बोली दस्तावेज की बिक्री शुरु होने की तारीख	23/09/2016
ख.	बोलीदाताओं के साथ बोली-पूर्व बैठक (तारीख एवं समय)	03/10/2016 15:00 hrs
ग.	बोली दस्तावेज बिक्री की अंतिम तारीख एवं समय	24/10/2016 18:00 hrs
घ.	बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तारीख एवं समय	24/10/2016 18:00 hrs
ड.	तकनीकी बोली खोलने की तारीख एवं समय	25/10/2016 12:00 hrs
च.	आरएफपी का मूल्य	5,000/- रु. (पाँच हजार रुपए मात्र) (अप्रतिदेय) (कृपया भुगतान विवरणों के लिए धारा सं. एफ.12 का संदर्भ लें)
छ.	बयाना जमा राशि	2,00,000/- रु. (दो लाख रुपए मात्र) (कृपया भुगतान विवरणों के लिए धारा सं. एफ.12 का संदर्भ लें)
ज.	बोली खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मुख्य कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक कोर -5ए, तीसरी मंजिल, इंडिया हैबीटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 -

**टिप्पणी :-**

- अनुसूची शीघ्र ही अद्यतन की जाएगी।
- तकनीकी बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उक्त अनुसार इसमें भाग लेना चाहेंगे। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मियों से ई-मेल अथवा बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि, समय और स्थल की सूचना किसी बाद की तारीख में तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को दी जाएगी।

## **ख. राष्ट्रीय आवास बैंक**

राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की गई है।

**क.** राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है: आबादी के सभी वर्गों को की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना

- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना
- इस अधिनियम के तहत व्युत्पन्न विनियामक एवं पर्यवेक्षक प्राधिकार के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना।
- आवास निर्माण हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।

**ख.** रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैदराबाद, चेन्नै, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद और भोपाल में है।

### **ख. उद्देश्य**

- i. रा.आ. बैंक ("बैंक") इस आरएफपी, "कार्य क्षेत्र" ("द सर्विसेज) में बताए अनुसार आगामी 5 वर्षों की अवधि में बैंक द्वारा शुरू किए जाने वाले ऑन-गोइंग एवं भावी सूचना प्रौद्योगिकी पहलों के लिए एक आईटी कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए परामर्श एजेंसियों (बिडर्स) से इस ("आरएफपी") प्रस्ताव हेतु अनुरोध के लिए प्रत्युत्तरों ("प्रस्तावों") को आमंत्रित करता है।
- ii. आमंत्रित इस कार्य आदेश को शुरू में निम्न के लिए रखा जाएगा
- iii. इस आरएफपी के परिणामस्वरूप किसी भी संविदा को वार्षिक समीक्षा और बैंक के विवेक के आधार पर जारी किया जाएगा।
- iv. बैंक बिना किसी अतिरिक्त लागत पर 3 महीने की अवधि के लिए आदमी महीने के आधार पर अवधि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- v. प्रस्ताव हेतु अनुरोध दस्तावेज में शामिल है सूचना से प्राप्त किए गए वे विवरण जिन्हें आज की तारीख में सही तो माना जा सकता है परंतु जिनका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि रा.आ. बैंक के साथ किसी अनुबंध अथवा व्यवस्था में भाग लेने को तय करने के लिए अनुबंधीय पक्ष को सक्षम करने में अपेक्षित अथवा वांछनीय समस्त सूचना प्रदान करें। न तो रा.आ. बैंक और न ही इसका कोई कर्मचारी, एजेंट, ठेकेदार, अथवा सलाहकार इस दस्तावेज में दी गई अथवा प्रदान की गई किसी सूचना अथवा विवरण की यथातथ्यता अथवा पूर्णता को लेकर व्यक्त अथवा सूचित किसी प्रकार का कोई अभिवेदन अथवा वारंटी नहीं देगा। न तो रा.आ. बैंक और न ही इसके किसी कर्मचारी, एजेंट, ठेकेदार, अथवा सलाहकार ने इस दस्तावेज के किसी भी भाग की अंतर्वस्तु के संबंध में कोई स्वतंत्र लेखापरीक्षा अथवा सत्यापन का कार्य किया है अथवा न ही करेगा।

- vi. इसके विरुद्ध किसी कानून के होने पर, और विधि द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक, राष्ट्रीय आवास बैंक और इसके अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार, एजेंट, और सलाहकार इस पर कार्य करते हुए अथवा इस आरएफपी दस्तावेज में समाविष्ट पूर्वानुमानों, कथनों, अनुमानों, अथवा प्रक्षेपणों समेत किसी सूचना की वजह से किसी व्यक्ति को हुए किसी भी नुकसान या क्षति से अपने आपको सभी दायित्व से अलग करते हैं और स्वयं को रा.आ. बैंक अथवा उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों, एजेंटों, या सलाहकारों से हुई किसी लापरवाही, चूक, डिफॉल्ट, एहतियात अथवा गलत बयानी की कमी के कारण हुए नुकसान या क्षति के लिए उसके अनुषंगी रखते हैं।

### ग. वर्तमान सेटअप

रा.आ.बैंक का केंद्रीकृत सेटअप डाटा सेंटर (डीसी) नई दिल्ली में है और डिजास्टर रिकवरी (डीआर) साइट मुंबई में है। सभी एप्लीकेशंस डाटा सेंटर, नई दिल्ली में होस्ट किया गया है और सभी कार्यालय/स्थलों के द्वारा एमपीएलएस वैन/इंटरनेट पर एक्सेस किया जाता है। वर्तमान में रा.आ.बैंक में दिल्ली, मुंबई और अन्य कार्यालयों के बीच नीचे दिए अनुसार एमपीएलएस कनेक्टिविटी है। वर्तमान में, इन डीसी और डीआर केंद्रों के बीच बैंडविड्थ एमबीपीएस (डीसी) /8 एमबीपीएस (डीआर) है और सभी आरआरओज़ के लिए 1 एमबीपीएस लिंक पर जुड़े हुए हैं।

मौजूदा अवसरचना:

- बैंक अधिकारियों को विभिन्न प्रकार की आईटी सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने डाटा सेंटर की स्थापना की है। इन सेवाओं में वीसी, एसएपी, ई-मेल, फ़ाइल सर्वर, इत्यादि शामिल हैं।
- सभी सेवाएं सूचना आधारित सेवाएं हैं जहां डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है कर रहा है जानकारी के आधार पर सेवा कर रहे हैं। प्रमुख परिचालनों की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए एमआरओ में बैंक की आपदा बहाली (डीआर) साइट है।
- आईटी आपरेशनस पांच प्रमुख नीतियों नीतियों नामतः आईटी नीति, सूचना सुरक्षा (आईएस) नीति, आईटी खरीद नीति, आईटी हार्डवेयर निपटान नीति, व्यापार निरंतरता योजना (बीसीपी) से संचालित होते हैं।

### घ. उद्देश्य

1. रा.आ. बैंक ने व्यापार, लाभ और आउटरीच के मामले में त्वरित विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इस संदर्भ में, बैंक द्वारा परिकल्पित विकास योजना से उत्पन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑन-गोइंग और नई सूचना प्रौद्योगिकी पहलों के लिए तकनीकी सलाहकार की आवश्यकता है।
2. बैंक अपनी विभिन्न आईटी परियोजनाओं और अगले पांच वर्षों में शुरू की जाने वाली पहलों के लिए एक सक्षम तकनीकी सलाहकार नियुक्त करना चाहता है। सलाहकार की परामर्शी सेवाएं बैंक की प्रस्तावित परियोजनाओं के सभी चरणों के लिए अपेक्षित हैं और, अन्य बातों के साथ, इसमें शामिल है आईटी परियोजना हेतु कार्य नीति निर्दिष्ट करना करना, वर्तमान व्यवस्था अध्ययन, परियोजनाओं के लिए विनिर्देशों और अपेक्षाओं को निर्दिष्ट करना करना, आरएफपी तैयार करना, वेंडर मूल्यांकन एवं चयन

और परियोजना के कार्यान्वयन का प्रबंध। सलाहकार आरएफपी में उल्लिखित सीमा के अनुसार उत्तरदायी होगा।

3. वार्षिक समीक्षा के साथ अनुबंध की अवधि 3 वर्ष होगी।
4. परियोजना का मुख्य उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर बैंक को सक्षम बनाना है।
5. बैंक का आईटी पर्यावरण और उसकी संबंधित कार्यनीति केवल बैंक के महत्व में वृद्धि ही करेगा और आईटी निवेश पर प्रतिलाभ उत्पन्न करेगा बशर्ते की यह उभरती हुई वैश्विक और घरेलू प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों/ प्रथाओं को समाविष्ट करे, विनियामक वातावरण को आत्मसात करे तथा बैंक की मौजूदा आईटी अवसंरचना व संसाधनों का भरपूर लाभ उठाए। प्रौद्योगिकी वातावरण कभी भी बदलने वाला होता है जो किसी भी संगठन की प्रौद्योगिकी योजना के निरंतर अद्यतन और पुनर्विचार पर जोर देती है।
6. यह मान कर कि कभी भी बदलने वाले इस प्रौद्योगिकी पर्यावरण और पृष्ठभूमि कि बैंक की आवश्यकताएं प्रकृति में विविध और आवर्ती वाली होंगी बैंक अनुबंध की शर्तों के अनुसार ऑन-गोइंग आधार पर परामर्शी सहायता की आवश्यकता को प्रस्तुत करती है। इस आरएफपी दस्तावेज में परिभाषित समग्र सीमा सांकेतिक है और केवल उन विस्तृत क्षेत्रों को बताता है जिनसे कुछ विशेष आवश्यकताएं पूरी हो। अनुबंध की अवधि के दौरान बैंक की विशिष्ट आवश्यकताएं पूरी तरह जरूरत पर आधारित होंगी और कुछ चुनिंदा फर्मों को अवगत कराई जाएंगी।
7. सफल बोलीदाता को अनुबंध सौंपने के बाद बैंक निम्नलिखित सहायता प्रदान करेगा:
  - मौजूदा प्रक्रियाओं की समझ प्रदान करना
  - पहले से उपलब्ध मौजूदा आईटी अवसंरचना पर सूचना प्रदान करें
  - किसी प्रकार की भी तकनीकी अवसंरचना सहायता।
8. प्रदेय, साथ में इस आरएफपी में उल्लेख:
  - क. वर्तमान सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मौजूदा नीतियों की समीक्षा एवं उसका सही अनुकूलन/ भावी प्रूफिंग
  - ख. मौजूदा अवसंरचना का उसकी बेहतरी के लिए समीक्षा करना और वर्तमान सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के साथ अनुपालन करना।
  - ग. यथा निम्नवत अभिज्ञात प्रौद्योगिकी प्रकार्यों में परामर्श प्रदान करना:
    - i. सिस्टम/ डेटा डाटा एडमिनिस्ट्रेशन
    - ii. नेटवर्क/ परिचालन सपोर्ट
    - iii. तकनीक के साथ नवोन्मेष हेतु पक्ष समर्थन
    - iv. संचार (वेबसाइट /सोशल नेटवर्किंग)
9. समग्र उद्देश्यों में हैं सभी आइटी परियोजनाओं के प्रबंधन के साथ साथ रा.आ. बैंक की मौजूदा प्रौद्योगिकी अवसंरचना और सूचना प्रणाली, जिले-वार प्रौद्योगिकी योजना के विकास व कार्यान्वयन के अनुरक्षण में रा.आ. बैंक को सहयोग देना। इसमें शामिल हैं तकनीकी सलाह, समर्थन, और जरूरी परामर्श सेवाओं को उपलब्ध कराने की आवश्यकता।
10. रा.आ. बैंक ने ऐसे अनगिनत कार्यों को गिनाया है जिनके लिए वह पेशेवर सेवाओं हेतु संभावित जरूरत की आशा रखता है। इनमें ये हैं पर जो केवल निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं:
  - क. प्रौद्योगिकी कार्यनीतिक योजना एवं कार्यान्वयन

- ख. परियोजना डिजाइन और प्रबंधन
- ग. दृष्टि पत्र की तैयारी
- घ. वेबसाइट/ लोगों के समक्ष आने वाली संचार आवश्यकताओं के लिए लेखन सामग्री और प्रूफिंग।
- ङ. तृतीय पक्ष की सॉफ्टवेयर स्थापना और सेटअप में सहायता देना।
- च. आईटी विभागों के लिए विकास और कार्य प्रवाह के संचार में सहयोग देना।
- छ. बैंक में कार्यान्वित विभिन्न मौजूदा और भावी आईटी सिस्टम हेतु कार्य प्रवाह के विकास में सहयोग करना।
- ज. बैंक के अन्य आईटी वेंडरस के साथ प्रबंधन और समन्वयन
- झ. सुधार के लिए सिस्टम की कमी और संस्तुतियों का आधारभूत आकलन तैयार करना
- ञ. विशेष सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उत्पादों के मूल्यांकन में सहायता करना
- ट. विभिन्न अधिप्राप्ति और अनुबंधीय जरूरत के लिए आरएफपी/ एसएएल दस्तावेजों के तैयार करने में सहयोग देना
- ठ. निम्न पर मासिक स्थिति रिपोर्ट देना:
  - i. माह के दौरान किया गया/ प्रवर्तमान कार्य
  - ii. चल रही और आगामी परियोजनाओं की स्थिति
  - iii. समर्पित खाता प्रबंधक द्वारा मासिक ऑन साइट बैठके

#### 11. टिप्पणी:

यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए विक्रेता जिम्मेदार होगा। विक्रेता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि किसी भी कार्य, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों या सेवाओं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं है, वे आईटी पर्यावरण के समुचित निष्पादन और प्रावधानीकरण के लिए आवश्यक अथवा उपयुक्त हुए तो उन्हें इस आरएफपी के तहत अंतर्निहित और समाविष्ट समझा जाएगा और वेंडर का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और वेंडर के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से बताराया गया है।

#### ड. बोलीदाताओं के लिए निर्देश

##### 1. सामान्य:-

बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे बोली दस्तावेजों में सभी अनुदेशों, प्रपत्रों, शर्तों एवं विनिर्देशों को जांच लें। बोली दस्तावेजों में सभी अपेक्षित सूचना प्रस्तुत न करने पर बोली स्वीकार नहीं की जाएगी एवं यह बोलीदाता के स्वयं के जोखिम पर होगा।

- उत्तरदाताओं द्वारा उत्तरों के विकास, तैयारी एवं प्रस्तुति बैठक, परिचर्चा, प्रदर्शन इत्यादि में उपस्थिति तक ही सीमित नहीं से किसी भी तरह जुड़े एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अतिरिक्त सूचना प्रदान करने में खर्च की गई सभी लागत एवं व्यय पूरी तरह व विशेष रूप से उत्तरदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
- किसी भी उत्तरदाता एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के बीच कोई बाध्यकारी संबंध मौजूद नहीं रहेगा जब तक कि अनुबंधात्मक करार का निष्पादन न किया जाय।



- प्रत्येक प्राप्तकर्ता मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र वेंडर(रों) छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है। आरएफपी दस्तावेज ऐसे किसी भी अनुबंध या व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनेंगे जो इस दस्तावेज या किसी जांच पड़ताल या समीक्षा के फलस्वरूप पैदा हो।
- राष्ट्रीय आवास बैंक को आरएफपी का उत्तर देने वाला प्रत्येक प्राप्तकर्ता को यह समझा जाएगा कि उस इस आरएफपी की शर्तें स्वीकार हैं।
- बोलीदाता रा.आ. बैंक की अनुमति के बिना कार्य के किसी भी भाग की उप-संविदा / आउटसोर्स करने का दायित्व नहीं लेता।
- प्राप्तकर्ता से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क सूत्र को भेजें:

<p><b>एस.के.पाढी</b>  <b>उप महाप्रबंधक (आईटी)</b>  <b>ईमेल : <a href="mailto:Susanta.padhi@nhb.org.in">Susanta.padhi@nhb.org.in</a></b>  <b>मोबाइल : 9717691287</b>  <b>दूरभाष : +91 - 11 - 24626383</b>  <b>फैक्स : +91 - 11 - 24649432</b></p>	<p><b>मुनीष भुटानी</b>  <b>प्रबंधक (आईटी)</b>  <b>ईमेल : <a href="mailto:munish.bhutani@nhb.org.in">munish.bhutani@nhb.org.in</a></b>  <b>मोबाइल : 8130498078</b>  <b>दूरभाष: +91 - 11 - 24617101</b>  <b>फैक्स : +91 - 11 - 24649432</b></p>
--	---

- राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी उत्तरदाता से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं उत्तरदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।
- सभी उत्तरदाता अपना संपर्क सूत्र, दूरभाष, फैक्स, ईमेल एवं पूरा पते का विवरण उपलब्ध करायें ताकि आरएफपी के प्रत्युत्तर से तुरंत अवगत कराया जा सके।
- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी उत्तरदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो पूर्व-बोली बैठक के दौरान ऊपर बताए गए संपर्क व्यक्ति से सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10.00 से सायं 6.00 बजे तक बोलियों के प्रस्तुत करने की समयसीमा के पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी बंद होने के पश्चात किसी प्रत्युत्तर में सुधार करने अथवा स्पष्ट करने के लिए अपने पूर्ण विवेक पर किसी उत्तरदाता (एक से अधिक उत्तरदाता के साथ एक साथ) चर्चा अथवा बातचीत में शामिल कर सकता है।
- वेंडर को भारत सरकार के किसी भी विभाग/पीएसयू/बैंकों/भारत में वित्तीय संस्थानों द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैक लिस्ट/वंचित न किया गया हो।

- रा.आ. बैंक अपनी आरएफपी के परिणाम के मुमकिन होते ही सभी शार्ट लिस्ट प्रतिवादियों को लिखित रूप में अथवा मेल के द्वारा या उसे अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करके सूचित करेगा। रा.आ. बैंक ऐसी किसी भी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है।

### 1. बोली पूर्व बैठक

इस आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी में स्पष्ट की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित में दिनांक 03.10.2016 को 17:00 बजे को अथवा उससे पूर्व ईमेल द्वारा उपरोक्त ईमेल पर पहुंच जाना चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं का प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

### 3. निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति

निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> पर उपलब्ध कराई जाएगी। बोलीदाताओं को एफ.12 में यथा निर्दिष्ट ईसीएस के द्वारा अप्रतिदेय शुल्क 5,000/- रु. (केवल पांच हजार रूपए) का भुगतान करना होगा।

भुगतान का साक्ष्य संलग्न किया जाए और तकनीकी बोली उल्लेखित करते हुए लिफाफा में डालें; इसके नहीं होने पर बोली को आगे मूल्यांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

### 4. निविदा की अहस्तांतरणीयता

यह निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

### 5. मिटाना अथवा संशोधन

मिटाने अथवा संशोधित प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव में हाथ से लिखित सामग्री, सुधार अथवा संशोधन न हो। तकनीकी विवरण पूरी तरह भरा हो। सही तकनीकी जानकारी भरी जाय। जानकारी भरने में 'ठीक है', 'स्वीकार है', 'देख लिया है', 'जैसा ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है' जैसे शब्द स्वीकार्य नहीं हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक इन दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकार्य के तौर पर समझेगी। राष्ट्रीय आवास बैंक इस प्रस्ताव में किसी प्रकार के गैर अनुरूपता अथवा मामूली अनियमितता पर अपने विवेक पर छूट दे सकता है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगी एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के पास ऐसे छूट देने के अधिकार सुरक्षित हैं।

### 6. बोली दस्तावेजों में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक किसी कारण के लिए बोली दस्तावेजों में संशोधन करते हुए संशोधन कर सकता है।
- ऐसे संशोधनों को बैंक की वेबसाइट [www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) पर दर्शाया जाएगा।

- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। किसी बोलीदाता द्वारा किसी प्रकार चूक के मामले में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

## 7. बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

## 8. प्रच्छादित (मास्कड) वाणिज्यिक बोली

बोलीदाता को आवृत्त वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करना भी आवश्यक है जो प्राधिकृत बोली (मूल्य प्रच्छादन (मास्किंग) के पश्चात राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार) की प्रति होती है। यह अनिवार्य है। वह बोली अयोग्य ठहराई जा सकती है यदि इसे यथोचित ढंग से प्रच्छादन करते हुए प्रस्तुत न किया गया हो। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय पर बोली अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है यदि 'प्रच्छादित वाणिज्यिक बोली' का प्रारूप/विवरण (मूल्य के सिवा) प्रस्तुत की गई वास्तविक वाणिज्यिक बोली के प्रारूप/विवरण से नहीं मिलती है।

## 9. स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

## 10. बोली में शामिल किये जाने वाले दस्तावेज

- बोली में दो प्रस्ताव यथा तकनीकी बोली एवं वाणिज्यिक बोली शामिल है।
- तकनीकी बोली में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होने चाहिए:
  - दस्तावेजी साक्ष्य जो दर्शाते हैं कि बोलीदाता बोली के लिए पात्र है और अनुबंध का निष्पादन करने हेतु पात्र है अर्थात् अनुलग्नक -V के अनुसार न्यूनतम पात्रता मानदंड।
  - अनुलग्नक III के अनुसार तकनीकी बोली। कोई भी तकनीकी बोली जिसमें कीमत की सूचना दी गई हो निरस्त कर दी जाएगी।
  - राष्ट्रीय आवास बैंक को किए गए 5000/- रु. (अप्रतिदेय) के ई-भुगतान का प्रमाण। (कृपया एफ.12 का संदर्भ लें)
  - राष्ट्रीय आवास बैंक को किए गए 2,00,000/- रु. (प्रतिदेय) के ई-भुगतान का प्रमाण। (कृपया एफ.12 का संदर्भ लें)

- न्यूनतम पात्रता मानदंड, तकनीकी बोली, प्राच्छादित वाणिज्यिक बोली की सॉफ्ट कापी
- मूल्य की गुप्त बोली जिसमें अनुलग्नक-IX के अनुसार कीमत को सूचित किए बगैर वे सभी घटक सूचीबद्ध हों जैसे वाणिज्यिक बोली में दिए गए हैं।
- अनुलग्नक -XIII के अनुसार आईटी सलाहकार सीवी।
- आरएफपी लागत और ईएमडी राशि के बिना बोलियों को निरस्त कर दिया जाएगा।

● वाणिज्यिक बोली में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होने चाहिए:

- पूरी वाणिज्यिक बोली, अनुलग्नक IX के अनुसार प्रावरण पत्र के साथ अनुलग्नक VIII के अनुसार
- वाणिज्यिक बोली की कीमत वाली बिड की सॉफ्ट कॉपी को जिसमें कोई भी विचलन या इसी तरह के खंड हों, को सरसरी तौर पर अस्वीकृत किया जा सकता है। किसी प्रकार के व्यतिक्रम अथवा इसी तरह के खंडों से युक्त मूल्य की बोलियां सरसरी तौर पर अस्वीकार की जा सकती है।
- कोई अन्य जानकारी अलग अनुलग्नकों में प्रस्तुत की जा सकती है।

11. बोली मुद्रा

इस आरएफपी के जबाब में बोलियां केवल भारतीय रूपए में कोट की जाएगी।

12. बयाना जमा राशि

i. बोलीदाता को राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष में ई भुगतान के माध्यम से 2,00,000 रुपये (दो लाख रुपये मात्र) की बयाना राशि जमा करनी है।

खाते का विवरण निम्नलिखित तालिकानुसार है:

क्र. सं.	प्रकार	विवरण
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी का पता	कोर ए 5, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र , लोधी रोड़, नई दिल्ली- 110003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
4	लाभार्थी के बैंक की शाखा	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कांपलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली- 110003
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता सं .	52142903844
7	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	SBHY0020511
8	एमआईसीआर सं .	110004005

i. भुगतान का सबूत संलग्न होना चाहिए तथा तकनीकी बोली लिखकर लिफाफे में रखा जाना चाहिए; जिसकी अनुपस्थिति में बोली आगे मूल्यांकन के लिए विचार नहीं की जा सकती। बोलीदाता को ईसीएस अधिदेश पत्र, जैसा अनुलग्नक XI में संलग्न है, प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- ii. यथोचित प्रारूप तथा प्रणाली में ईएमडी के बिना प्राप्त कोई बोली अनुत्तरदायी और अस्वीकार की जाएगी।
- iii. ईएमडी से छूट हेतु अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- iv. सभी असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि निविदा प्रक्रिया की समाप्ति पर वापिस की जाएगी।
- v. सफल बोलीदाता आरएफपी में वर्णित शर्तों के अनुसार एसएलए के क्रियान्वयन तथा कुल संविदागत मूल्य के 10% के लिए कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुतीकरण के बाद ईएमडी राशि वापिस करेगा।
- vi. ईएमडी सुरक्षा जब्त की जा सकती है:
  - यदि बोलीदाता बोली वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली आहरित कर लेता है।
  - संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी समय यदि बोलीदाता कोई बयान देता है अथवा कोई प्रारूप संलग्न करता है जो झूठ/गलत पाया जाता है।
  - सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलदाता संविदा पर हस्ताक्षर करने में असफल हो जाता है।

### 13. कार्यान्वयन अनुसूची

- बोलीदाता सेवाओं की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।

क्र. सं.	...के लिए क्रय आदेश	वितरण अनुसूची (क्रय आदेश को स्वीकार करने की तिथि से)
1.	शुरुआती मीटिंग	2-4 दिन
2.	ऑनसाइट सलाहकार की नियुक्ति	6-10 दिन

- आरएफपी की शर्तों के अनुसार एसएलए के सफलतापूर्वक साइन ऑफ के बाद बिलिंग का कार्य शुरू होगा।

### 14. कार्य-निष्पादन गारंटी-

1. चयनित बोलीदाता के लिए यह अपेक्षित होगा कि वो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की गारंटी के रूप में परियोजना (कृपया अनुलग्नक IX.A की निवल लागत 'X' का संदर्भ लें) की कुल लागत का 10% निष्पादन गारंटी के तौर पर प्रदान करे। निष्पादन गारंटी अनुबंध की अवधि अर्थात् 24 महीने की समाप्ति के बाद कम से कम तीन महीने की अवधि तक वैध होनी चाहिए। उसे आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है यदि अनुबंध अवधि को आरएफपी की शर्तों के अनुसार बढ़ाया जाता है।

### 15. बोली की वैधता अवधि

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कीमतें तथा अन्य शर्तें प्रस्तुतीकरण तिथि से छ माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की

मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली की प्रतिभूति भी बढ़ा दी जाएगी।

## 16. बोली का प्रारूप तथा हस्ताक्षर

प्रत्येक बोली दो भागों में होगी:

- **भाग I:** न्यूनतम पात्रता मानदंड, तकनीकी बोली तथा प्रच्छादित (मास्कड) वाणिज्यिक बोली (बिना किसी मूल्य के मूल्य बोली) शामिल हैं। उपरोक्त कंटेन्ट "तकनीकी प्रस्ताव" के रूप में उल्लिखित किए जाएंगे।
- **भाग II :** "वाणिज्यिक प्रस्ताव" के रूप में उल्लिखित होने के बाद केवल वाणिज्यिक बोली कवर करेंगे।
- वास्तविक बोली पक्की स्याही से टाइप की हुई या लिखित में होनी चाहिए तथा संविदा के बोली लगाने के लिए बाध्य के विधिवत प्राधिकृत बोलीदाता अथवा एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षित होनी चाहिए। व्यक्ति अथवा व्यक्ति जो बोली हस्ताक्षर कर रहे हैं, असंशोधित मुद्रित साहित्य के अलावा बोली के सभी पृष्ठों पर संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे।

## 17. बिडों की सीलिंग एवं विपणन

- लिफाफे नीचे दिये बैंक के पते पर भेजे जाएंगे :  
**महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग**  
राष्ट्रीय आवास बैंक  
कोर -5ए, तीसरा तल, भारत पर्यावास केन्द्र  
लोधी रोड  
नई दिल्ली 110003 –
- सभी लिफाफों पर बोलीदाता का नाम, पता और सम्पर्क नम्बर लिखा होना चाहिए।
- बोलीदाता तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफों को अलग-अलग मुहर बंद करेगा।
- यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और यथा लागू इसके ऊपर "ऑनलाइन रिपोर्टिंग सलूशन एंड सपोर्ट सर्विसेज हेतु तकनीकी प्रस्ताव" और "ऑनलाइन रिपोर्टिंग सलूशन एंड सपोर्ट सर्विसेज वाणिज्यिक प्रस्ताव" अलग से लिखा हो।
- यदि लिफाफों मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गया तो बैंक बिडो के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऐसी बिड जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और सहारा के बिना अस्वीकृत कर दिया हो जाएगी।

## 18. बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

- बोलियां बैंक को निर्दिष्ट पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि यदि बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।
- बैंक स्व निर्णयानुसार, बिड दस्तावेजों को संशोधित करके बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा सकता है, उस स्थिति में, बैंक और बोली दाता के सभी अधिकार और उत्तरदायित्व वृद्धित अंतिम तारीख तक पूर्ववत् रहेंगे।

## 19. विलम्ब से प्राप्त बोलियां

बैंक द्वारा बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद बैंक को प्राप्त बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोली दाता को लौटा दिया जाएगा।

## 20. बोलियों में संशोधन और /या वापस लेना:

- बोलीदाता अपनी बिड प्रस्तुत करने के बाद संशोधित कर या वापस ले सकता है बशर्ते कि बिडो को संशोधित करने या बदलने या वापस लेने के लिये बैंक को लिखित नोटिस बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पूर्व, प्राप्त हुआ हो।
- बोलीदाता द्वारा संशोधन करने या वापसी के लिये नोटिस तैयार करके, मुहरबंद व चिन्हित करके प्रेषित किया जाए। वापसी के लिये नोटिस फैक्स से भी भेजा जा सकता है लेकिन उसके बाद हस्ताक्षरित प्रति, जिस पर बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व हस्ताक्षर किये गये हों, प्राप्त होनी चाहिए।
- किसी भी बोली में बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है।
- कोई भी बोली बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और बोलीदाता द्वारा अपने बिड फार्म में बिड वैधता की निर्दिष्ट अवधि के मध्य वापस नहीं ली जा सकती है। इस अवधि के दौरान बिड वापस लेने पर बोलीदाता की ईएमडी जब्त हो सकती है।
- बैंक को कोई या सभी निविदाएं बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा। बैंक किसी भी कारण से बिड दस्तावेजों के प्राप्त नहीं होने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

## 21. बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तारीख और समय पर, बोलियां बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तारीख को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।
- बोलीदाता के नाम और अपेक्षित ईएमडी, आरएफपी की कीमत के होने या नहीं होने तथा अन्य ब्योरे जिसे बैंक अपने निर्णयानुसार उचित समझता है, की घोषणा तकनीकी बोली खोलने के समय की जाएगी।

## 22. बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग

सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स /ईमेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

### 23. प्रारम्भिक जांच

- बैंक यह देखने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात /दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं।
- बैंक स्व निर्णयानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बिड की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैंकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

### 24. प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संलग्न दस्तावेज तब तक रा.आ. बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ. बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

### 25. बोलीदाताओं को निर्देश:

बोलीदाता बैंक द्वारा सौंपे गए विकास एवं अनुरक्षण कार्य को किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं कर सकता है और बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतें अपने खुद की सेवा/समर्थन अवसंरचना के द्वारा ही निपटाएगा।

### 26. कीमत संघटन एवं व्युत्पन्न:

- वेंडर को अनुलग्नक IX में उपलब्ध संरचना के अनुसार सख्ती से लागत मैट्रिक्स सप्ष्ट तौर पर प्रस्तुत करना होगा। किसी प्रकार की अवहेलना होने पर बोली निरस्त कर दी जाएगी। वाणिज्यिक बोली के अलावा कोई अन्य विकल्प कोट नहीं किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी विकल्प होंगे तो बोली निरस्त की जा सकती है।
- वाणिज्यिक प्रस्ताव तय कीमत आधार पर होनी चाहिए। संविदा की अवधि के दौरान सौंपे गए किसी भी कार्य हेतु कर को छोड़कर (वर्तमान या भविष्य) परामर्श की लागत से संबंधित कोई कीमत में व्युत्पन्न का वहन नहीं किया जाएगा।
- सांवांधिक संशोधन के अनुसार केवल सेवा कर मूल में भुगतान किया जाएगा।
- परियोजना के कार्यान्वयन की तारीख साइन ऑफ की तारीख होगी। वहीं तारीख समर्थन सेवाओं आदि के नवीकरण हेतु मानी जाएगी, यदि लागू हो।



## 27. आर्डर रद्द करना

बैंक को निम्नलिखित एक या अधिक परिस्थितियों में क्रय आदेश को रद्द करने का अधिकार होगा :

- आपूर्ति, अधिष्ठापन, एकीकरण और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा संबंधित उपस्करों के अनुरक्षण, निर्दिष्ट अवधि में परियोजना पूरी न होने में विलम्बा
- आरएफपी में उल्लिखित से अतिरिक्त कुछ प्रस्तावित विचलनों के कारण जिसमें बैंक के बुनियादी ढांचे के साथ बैंक की संतुष्टि अनुसार एकीकरण न होना भी शामिल है, जैसे कि 'कार्य क्षेत्र' में उल्लेख किया गया है,
- आर्डर रद्द करने की स्थिति में, बोलीदाता अपने खर्चे से उपकरणों को वापस ले जाने के लिये उत्तरदायी होगा। आर्डर रद्द होने पर बैंक बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत 'निष्पादकता बैंक गारंटी' (पीबीजी) को भी लागू कर सकता है।

## 28. सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

बोलीदाता के पास नई दिल्ली तथा मुंबई में उचित और पर्याप्त सहायक तंत्र उपलब्ध होना चाहिए ताकि वह इस परियोजना के तहत सभी अपेक्षित सहायता उपलब्ध कर सके।

## 29. नियम पुस्तिकाएं तथा ड्राइंगें

वेंडर संविदा की अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई सेवाएं के लिए संपूर्ण तकनीकी एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। सभी मैनुअल अंग्रेजी में होने चाहिए और उपलब्ध कराई गई सेवाएं सफ्ट तौर पर उल्लिखित होनी चाहिए।

## 30. बोली (बिड) का मूल्यांकन

- बैंक बोलियों के मानकीकरण एवं बोलियों के मूल्यांकन के लिए वाहरी सलाहकार की सेवाओं का इस्तेमाल कर सकता है।
- अपनाये जाने वाला प्रस्तावित मूल्यांकन मानदंड गुणवत्ता सह लागत आधारित प्रणाली (क्यूसीबीएस) होगी जहां तकनीकी बोली अंक वाणिज्यिक बोली के पूर्ण भारांक के साथ अर्हकारी (न्यूनतम अंक 80 हो) है। अंतिम चयन वाणिज्यिक बोली के आधार पर ही किया जाएगा।
- बोली मूल्यांकन की विस्तृत कार्यप्रणाली एवं बोलीदाता का चयन अध्याय एच में प्रदान किया गया है।
- अंक संबंधी त्रुटियों का सुधार:
  - मूल्य के विवरण प्रारूप में अंक संबंधी त्रुटियां यदि कोई हों, को निम्नलिखित आधार पर सुधारा जाएगा:
    - यदि इकाई कीमत एवं कुल कीमतके बीच अंतर पाया जाता है जो इकाई कीमत को मात्रा से गुणा करके आता है तो इकाई कीमतअभिभावी होगा एवं कुल मूल्य को सही

किया जाएगा जब तक कि आंकड़ा कम न हो। यदि बोलीदाता त्रुटियों के सुधार को स्वीकार नहीं करता है तो उसकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

- यदि अंकों एवं शब्दों में उद्धृत इकाई कीमत एवं इकाई मूल्य यथास्थिति अंकों में अथवा शब्दों में अंतर पाया जाता है तो जो मद के कुल बोली मूल्य से मेल खाता है उसे सही माना जाएगा।
- यदि वेंडर ने कुल बोली कीमत नहीं दर्शाई है अथवा शब्दों या अंकों में उद्धृत इकाई कीमत कुल बोली कीमत से मेल नहीं खाता है तो शब्दों में उद्धृत इकाई कीमत को सही माना जाएगा।
- बैंक बोली की मामूली गलती अथवा गैर अनुरूपता अथवा अनियमितता को माफ कर सकता है जो सामग्री में व्यतिक्रम न करे परंतु ऐसी माफी में पूर्वाग्रह अथवा किसी बोलीदाता का संबंध सूचक प्रभाव न हो।
- यदि अंकों में उद्धृत कीमत एवं शब्दों में उद्धृत कीमत मेल ना खाए तो शब्दों में उल्लिखित आंकड़े को अंतिम माना जाएगा।

### 31. संशोधन एवं वापसी

एक बार जब बोलियां प्रस्तुत कर दी जाएं तो उसे अंतिम माना जाएगा एवं इस पर बाद के पत्राचार पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम समय सीमा के पश्चात बोली में संशोधन नहीं किया जाएगा। सफल बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

### 32. कीमतों का प्रकटन

वाणिज्यिक बोली के सिवाय तकनीकी बोली अथवा बोली के किसी हिस्से में किसी स्वरूप में अथवा किसी कारण से कीमतों का विगोपन न किया जाए। ऐसा न करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

### 33. बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती हैं तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें निविदा के इस आमंत्रण पर लागू अनुबंध की निबंधन व शर्तें स्वीकार नहीं हैं तो वे खंड अनुलग्नक-IV के अनुसार व्यतिक्रमों को स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट करें। बोलीदाता स्पष्ट तौर पर दर्शाएँ कि वे प्रस्तुत किये जाने वाले उपकरण एवं सेवाओं में इन विनिर्देशों एवं अपेक्षाओं में निर्धारित विनिर्देशों से किस संबंध में एवं किस सीमा तक की भिन्नता/व्यतिक्रम होगा।

### 34. स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

### 35. संदर्भ प्रतिष्ठानों का सत्यापन

राष्ट्रीय आवास बैंक यदि आवश्यक समझे अपनी अपेक्षाओं के संबंध में प्रस्तुत उपकरण/सेवाओं के कार्य निष्पादन पर स्वयं की संतुष्टि के लिए संदर्भ प्रतिष्ठानों का सत्यापन कर सकता है।

### 36. राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

### 37. प्रस्ताव की सामग्री

वेंडरों के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि वेंडर ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। वेंडर के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में वेंडर की क्षमता एवं इस परियोजना में वेंडर की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

### 38. प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये आपूर्तिकर्ता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वे किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाय। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाय।

### 39. पैकिंग

सभी सामग्री की पैकिंग वाहकों की अपेक्षाओं के अनुरूप की जाय।

### 40. निरीक्षण एवं परीक्षण

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास अनुबंध के साथ उसकी अनुरूपता की पुष्टि करने के लिए सामग्री का निरीक्षण एवं/अथवा परीक्षण करने का अधिकार है यदि निरीक्षण/परीक्षण की गयी सामग्री विनिर्देशों का निष्पादन करने में असफल रहे तो क्रेता उसे अस्वीकार कर सकता है एवं आपूर्तिकर्ता को ग्राहक को विनिर्देशों की पूर्ति करते हुए अस्वीकृत सामग्रियों को निशुल्क बदलना होगा अथवा आवश्यक सुधार करना होगा।

### 41. कानूनों का अनुपालन

- i. सलाहकार कोइस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएंके बारे में पर्यवेक्षणकरने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं

राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड़, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

- ii. सलाहकार ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे बैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड़, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक सलाहकार को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।
- iii. यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत सलाहकार के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### 42. बौद्धिक संपदा अधिकार

- i. चयनित परामर्शदाता को यह विश्वास दिलाना होगा कि उपलब्ध कराई गयी निविष्टियां कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे। चयनित सलाहकार को यह विश्वास दिलाना होगा कि प्रदेय कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।
- ii. ऐसी स्थिति में प्रदेय तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन अथवा अवहेलना के दावे के विषय बनते हैं चयनित सलाहकार अपनी इच्छा अथवा खर्चे पर (क) राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए ऐसे प्रदेय इस्तेमाल करना जारी रखने का अधिकार अधिप्राप्त करेगा, (ख) ऐसे प्रदेयों को गैर अवहेलनायुक्त बनाते हुए बदलेगा अथवा संशोधित करेगा परंतु उक्त क्रिया कलाप अवहेलना करने वाले प्रदेयों के तौर पर प्रदेय बदले अथवा संशोधित किये गये हों अथवा (ग) यदि प्रदेय इस्तेमाल करने का अधिकार अधिप्राप्त न किया जा सके अथवा प्रदेय को बदला न जा सके अथवा संशोधित न किया जा सके एवं प्रदेयों वापसी स्वीकार करना एवं चयनित सलाहकार को ऐसे प्रदेयों के लिए अदा की गई कोई राशि के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक

की प्रतिपूर्ति के साथ दंड के अतिरिक्त समतुल्य उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा खर्च किये गये प्रतिस्थापन लागत की राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा वसूली की जाएगी। हालांकि राष्ट्रीय आवास बैंक इस संबंध में किसी प्रकार के खर्च, प्रभार, शुल्क अथवा किसी प्रकार की लगात का वहन नहीं करेगा। इसमें समाविष्ट निराकरण होते हुए भी चयनित सलाहकार दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि राष्ट्रीय आवास बैंक की असमर्थता के कारण प्रस्तावित साधन का इस्तेमाल करने में सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है।

- iii. इस खंड में वर्णित क्षतिपूर्ति की बाध्यता केवल उसी स्थिति में लागू होंगे जब क्षतिपूरित पक्ष क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष को ऐसे दावों का अविलंब लिखित में नोटिस प्रदान करे, क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष को ऐसे दावों का बचाव करने, प्रबंध करने, बातचीत करने अथवा निपटाने का पूरा अधिकार प्रदान करे एवं दावों (क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष के खर्चों पर) का बचाव करने में हर संभव सहायता उपलब्ध कराये। उपरोक्त के होते हुए भी कोई भी पक्ष किसी निपटारे अथवा समझौते कराने में अथवा जो क्षतिपूरित पक्ष आवश्यक होगा की तरह क्षतिपूरित पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी प्रकार के भुगतान करने अथवा कोई अन्य मूल दायित्वों का वहन कराने में सहमत कराने के लिए अधिकृत नहीं है। इस खंड में वर्णित क्षतिपूर्ति की बाध्यता इस प्रकार के संबोधित मामलों के लिए पक्षों की पूरी देयता को दर्शाते हैं।
- iv. चयनित सलाहकार यह स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक के करोबार के तर्क, कार्य प्रवाह, प्रत्यायोजन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया संवेदनशील प्रकृति का विषय है अतः इसे सॉफ्टवेयर के अन्य ग्राहकों, एजेंटों अथवा वितरकों को नहीं भेजेगा। ऐसी परियोजना अधूरी समझी जाएगी यदि परियोजना के वांछित उद्देश्य यथा परियोजना के कार्य क्षेत्र में उल्लिखित है, की पूर्ति नहीं करते हैं व यदि प्रणाली विभिन्न अपेक्षाओं यथा आरएफपी के दर्शाया गया है, से विधिवत समर्थित प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करने में असमर्थ रहती है।

#### 43. झूठा/अधूरा विवरण

निविदाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयीं उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती है तो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों ) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे।

- यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो उसकी कुल धरोहर राशि जब्त कर दी जाएगी एवं निविदा को सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो यथोचित कार्रवाई यथा बैंक द्वारा विनिश्चित है, लागू होगी।

#### A. कार्य क्षेत्र

##### 1. सामान्य

- परियोजना का उद्देश्य

बैंक अपनी विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं एवं भावी प्रयासों के लिए सक्षम तकनीकी सलाहकार नियुक्त करना चाहता है। सलाहकार की सलाहकार सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की रणनीति, मौजूदा प्रणाली का अध्ययन, मौजूदा नीति का अध्ययन, परियोजनाओं के लिए विनिर्देश एवं अपेक्षाओं को परिभाषित करना, आरएफपी की तैयारी एवं पुनरीक्षण करना, वेंडर का मूल्यांकन एवं चयन, परियोजना का प्रबंधन/कार्यान्वयन, बैंक की वेबसाइट/सामाजिक उपस्थिति के लिए लेखन सामग्री/पुनरीक्षण/प्रबंधन, सहभागिता प्रदान करना, प्रैस विज्ञप्ति इत्यादि परिभाषित करना आवश्यक है। सलाहकार इस खंड में रेखांकित कार्यक्षेत्र के अनुसार जिम्मेदार होगा।

बोलीदाता की भागीदारी आरएफपी की शर्तों के अनुसार काम पर लेने की तिथि से 36 माह की अवधि तक रहने की उम्मीद है।

बैंक स्पष्ट तौर पर गारंटी देता है कि इस आरएफपी के तहत बोलीदाता का चयन इस समझ के आधार पर है कि इस आरएफपी में पूरे कार्य के मूल प्रावधान ही समाविष्ट हैं। बोलीदाता को ऐसे सभी कार्यों का निष्पादन करना, अपेक्षित सेवाएं प्रदान करना एवं ऐसे संसाधन जो समय-समय पर आवश्यक हों एवं अनुबंध की अवधि के दौरान बैंक द्वारा ज्ञात अपेक्षाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। अनुबंध की अवधि के दौरान बैंक से सलाहकार सहायता पर विनिर्दिष्ट अनुरोध के आधार पर चयनित बोलीदाता को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य मानकों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर, बैंक के लिए अनुकूल कार्यप्रणाली स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

बोलीदाता के पास दिल्ली में सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए पूर्णतया विकसित कार्यालय होना चाहिए। कार्य दो चरणों में वितरित किया जाएगा:

चरण I : समीक्षा एवं निरूपण (स्थायी कार्यक्षेत्र)

चरण II : प्रौद्योगिकी समर्थकारी कार्यक्षेत्र (परिवर्ती कार्यक्षेत्र)

सलाहकार से स्थिर कार्यक्षेत्र अनुबंध प्रदान करने के 6 माह के भीतर प्रदान करने की उम्मीद की जाती है।

बैंक इसके पश्चात बैंक का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को संदर्भित करता है। सफल बोलीदाता निम्नलिखित कार्यक्षेत्र प्रदान करने के लिए बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ कार्य करेगा। इस नियुक्ति में बोलीदाता से विभिन्न चरणों में निम्नलिखित अपेक्षाएं की गयी हैं।

### **चरण I : (स्थायी कार्यक्षेत्र)**

बोलीदाता मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे/नीतियों की समीक्षा करेगा एवं बैंक के लिए सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति तैयार करेगा। बोलीदाता से बैंक के प्रौद्योगिकी ढांचे के विस्तृत आकलन के कार्य निष्पादन की अपेक्षा की जाती है। विस्तृत आकलन में न केवल मौजूदा कारोबार की अपेक्षाओं के नजरिये से प्रौद्योगिकी ढांचे की समीक्षा करने के उद्देश्य से किया जाय अपितु भावी कारोबार के विकास (वर्ष दर वर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि का अपेक्षित अनुमान), नियामक जोखिम एवं प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों पर भी विचार किया जाय। आकलन में मौजूदा प्रौद्योगिकी परिनियोजन की अनुकूलता प्रदान करने के साथ-साथ भावी मांग के अनुकूल बैंक का मार्गदर्शन एवं सहायता शामिल हो। आकलन में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे।

## 1. सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे की समीक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति का निरूपण

बोलीदाता मौजूदा सूचना मौजूदा प्रौद्योगिकी ढांचे/नीतियों की समीक्षा करेगा एवं बैंक के लिए सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति तैयार करेगा। बोलीदाता से बैंक के प्रौद्योगिकी ढांचे के विस्तृत आकलन के कार्य निष्पादन की अपेक्षा की जाती है। विस्तृत आकलन में न केवल मौजूदा कारोबार की अपेक्षाओं के नजरिये से प्रौद्योगिकी ढांचे की समीक्षा करने के उद्देश्य से किया जाय अपितु भावी कारोबार के विकास, नियामक जोखिम एवं प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों पर भी विचार किया जाय। आकलन में मौजूदा प्रौद्योगिकी परिणियोजन की अनुकूलता प्रदान करने के साथ-साथ भावी मांग के अनुकूल बैंक का मार्गदर्शन एवं सहायता शामिल हो।

बोलीदाता सुरक्षा का आकलन भी करेंगे एवं मौजूदा व उभरते हुए साइबर सुरक्षा के खतरों तथा प्रस्तावित इंटरप्राइज सिक््युरिटी आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क जो आईएसओ 27001 के अनुरूप व बैंक को इसकी मौजूदा एवं परिकल्पित भावी परिचालनों के आधार पर लागू हो, की रिपोर्ट साझा करेंगे। बोलीदाता बैंक से परामर्श करते हुए साइबर सुरक्षा नीति का मसौदा तैयार करेंगे जो बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना दिनांक 2 जून, 2016 के अनुरूप हो।

ढांचे में मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति (आईटीएसपी), भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश एवं उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं का विचार होना चाहिए।

**2. सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन एवं सुरक्षा रणनीति की समीक्षा एवं निरूपण:** इसमें विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों एवं प्रक्रियाओं, सूचना सुरक्षा नीति, बैंक की बीसीपी की समीक्षा करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन की समीक्षा एवं तैयार करने में बैंक की सहायता करना एवं सर्वोत्तम प्रथाओं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी गोपाल कृष्ण समिति की रिपोर्ट का अनुपालन पर परामर्श देना आवश्यक होगा। उद्योग में मौजूदा सर्वोत्तम प्रथाओं की भांति बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी की विभिन्न अपेक्षाओं का अभिज्ञान करना। सुरक्षा परिचालन केंद्र का व्यावहारिक अध्ययन एवं कार्यान्वयन करना। बोलीदाता ऐसी नीतियों व प्रक्रियाओं की संस्तुति भी करेगा जिसे नये सिरे से कार्यान्वित किया जाना आवश्यक है एवं उक्त के लिए खाका (रोडमैप) तैयार करना।

बोलीदाता मौजूदा एवं भावी खतरों की निगरानी एवं प्रबंध करने के लिए मौजूदा सुरक्षा अवसंरचना एवं तंत्र की समीक्षा करेगा। बोलीदाता मौजूदा अंतरों का विश्लेषण भी करेगा एवं उक्त के निवारण पर संस्तुतियां भी प्रदान करेगा। बोलीदाता ऐसे क्षेत्रों के निवारण करने पर भी संस्तुतियां प्रदान करेगा जो भविष्य में संभावित जोखिमों के रूप में बढ़ने की परिकल्पना की गयी है।

## 3. वेबसाइट एवं सामाजिक उपस्थिति की समीक्षा

बोलीदाता से बैंक के मौजूदा वेबसाइट डिजाइन एवं उसकी विषय वस्तु की समीक्षा करने की अपेक्षा की जाती है। बोलीदाता पूरे वेबसाइट की विषय वस्तु की समीक्षा करेगा एवं ऐसी विषय वस्तु प्रबंधन सेवाएं प्रदान करेगा जिसमें यह सुनिश्चित हो कि वेबसाइट अधिक सुनियोजित एवं विषय वस्तु से परिपूर्ण है। इसके अलावा बोलीदाता फेसबुक/ट्विटर/यूट्यूब इत्यादि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया के चैनलों में राष्ट्रीय आवास बैंक की

उपस्थिति बढ़ाने की रणनीतियां प्रदान करेगा।

**4. मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे की समीक्षा:** मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना, मौजूदा अनुप्रयोग पोर्टफोलियो, सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा ढांचे की समीक्षा, नियामक अनुपालन ढांचे की समीक्षा, उपयोगकर्ता-अनुभव की समीक्षा, भावी प्रयास, भूमिका व जिम्मेदारियों की परिभाषा एवं निगरानी तंत्र इत्यादि।

**5. मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की समीक्षा:** बोलीदाता लागत के अभीष्ट नजरिये से मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की समीक्षा करेगा। बोलीदाता मौजूदा एवं आगामी 5 वर्षों तक भावी कारोबारी योजना कायम रखने में मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की क्षमता पर भी विचार प्रदान करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना में डाटा सेंटर एवं डिजास्टर रिकवरी सेंटर एवं उक्त में अधिष्ठापित हार्डवेयर शामिल होगा। बोलीदाता हार्डवेयर, साफ्टवेयर एवं नेटवर्क के मौजूदा के अलावा भावी अपेक्षाओं के अनुसार आकार देने की भी समीक्षा करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना में समीक्षा के कार्यक्षेत्र में बैंक पूरे अनुप्रयोग पोर्टफोलियो का सहायता करने वाले हार्डवेयर व नेटवर्क कनेक्टिविटी शामिल है। बोलीदाता को भावी अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए नये स्थल में डाटा सेंटर के स्थानांतरण/पुनर्स्थापित करने की समीक्षा करना आवश्यक है।

बोलीदाता मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी बजट निरूपण तंत्र की भी समीक्षा करेगा एवं सूचना प्रौद्योगिकी का वार्षिक बजट तैयार करने एवं समीक्षा करने के लिए सुनियोजित व मानकीकृत ढांचे पर संस्तुतियां प्रदान करेगा जो सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति के अनुरूप हो।

**6. मौजूदा अनुप्रयोग पोर्टफोलियो की समीक्षा:** इस समीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारण करना है कि वर्तमान में परिनियोजित किसी अनुप्रयोग का उन्नयन अथवा बदलने की आवश्यकता है। बैंक में आंतरिक रूप से अनेक विकसित अनुप्रयोग हैं। बोलीदाता से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इन अनुप्रयोगों के प्रयोजन की समीक्षा करे एवं बैंक का मार्गदर्शन करते हुए आउटसोर्सिंग रणनीति का प्रस्ताव करे कि क्या आंतरिक विकसित अनुप्रयोग कमर्शियल-ऑफ-द-शेल्फ (सीओटीएस) अनुप्रयोग से बदला जाना चाहिए। बोलीदाता संबंधित अनुप्रयोग का खाका निर्धारित करने में अनुप्रयोगों के लिए जहां लागू हो, यंड ऑफ लाईफ एवं यंड ऑफ सपोर्ट परिस्थितियों पर भी विचार करेगा।

*नोट: अनुप्रयोगों की सांकेतिक सूची जिसकी बोलीदाता से अपेक्षा की जाएगी उसमें अध्ययन/समीक्षा करना शामिल है लेकिन यह बैंक के मौजूदा पोर्टफोलियो में अनुप्रयोगों तक ही सीमित नहीं है। बोलीदाता कार्यान्वयन करने में अंतरों का विश्लेषण एवं उक्त के निराकरण का खाका प्रदान करेगा। भावी विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यदि किसी सॉफ्टवेयर का उन्नयन करना आवश्यक है बोलीदाता इसका भी विश्लेषण करेगा।*

**7. नियामक अनुपालन ढांचे की समीक्षा:** बोलीदाता बैंक के निवेदन पर नियामक अनुपालन समझने एवं वर्तमान में परिनियोजित तंत्र की निगरानी करने के लिए बैंक से प्रांसगिक पणधारकों के साथ विचार-विमर्श



करेगा।

बोलीदाता किसी अपेक्षाओं पर प्रकाश डालने के लिए नियामक अपेक्षाओं का स्वतंत्र आकलन भी करेगा जिसका बैंक में अनुपालन नहीं किया जा सकता है अथवा किसी नये नियामक अपेक्षाएं जो बोलीदाता को ज्ञात है कि यह निकट भविष्य में लागू हो सकता है। समीक्षा में कार्यान्वयन करने में अंतरों का उल्लेख करना एवं निगरानी तंत्र की निगरानी करना एवं उक्त का निवारण करने का प्रस्तावित माध्यम शामिल होगा।

**8. उपयोगकर्ता के अनुभवों की समीक्षा:** बोलीदाता वितरण करने वाले माध्यमों पर उपयोगकर्ता के अनुभवों पर विचार करेगा जिसमें ग्राहक सेवा अनुरोध का प्रत्युत्तर, उपयोग करने में आसानी एवं फीडबैक प्राप्त करने के तंत्र जैसे कारक शामिल हों।

**9. वेंडर प्रबंधन ढांचे की समीक्षा:** बोलीदाता वेंडरों का वितरण यथा अनुबंध में सहमत है एवं प्रदेशों की निगरानी करने के तंत्र का अध्ययन करने के लिए मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी वेंडरों के साथ अनुबंधों की समीक्षा करेगा। इस समीक्षा में प्रत्येक वेंडर के साथ सेवा स्तरीय करार (एसएलए) का विस्तृत आकलन एवं उक्त के लिए निगरानी तंत्र भी शामिल होगा। बोलीदाता बैंक द्वारा अपनाई गयी सोर्सिंग रणनीति पर संस्तुतियां प्रदान करेगा। सोर्सिंग रणनीति पर संस्तुतियों से व्यय मॉडल (पूँजीगत व्यय बनाम परिचालन व्यय), अधिप्राप्ति मॉडल (बनाना बनाम खरीदना), इत्यादि पर बैंक का मार्गदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है। बोलीदाता से सॉफ्टवेयर का विकास, अनुरोध बदलना, अनुकूलता एवं सुविधा प्रबंधन इत्यादि यथा लागू के लिए वेंडर लागत ढांचा प्रमाणित करने वाला ढांचा उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है।

**10. व्यापार परिचालन एवं स्वचालन क्षमता का विहंगावलोकन :** बैंक डीएमएस/बीपीआर का प्रयोग शुरू कर सकता है। सफल बोलीदाता को ऐसे डीएमएस/बीपीआर प्रयोग के दौरान अभिज्ञात चुनौतियों पर चर्चा करनी चाहिए एवं समझना चाहिए। बोलीदाता से कारोबार एवं परिचालन में डीएमएस/बीपीआर संस्तुतियां/स्वचालन क्षमता के लिए कार्यान्वयन रणनीतियां जब भी आवश्यक हो, प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

**11. सूचना प्रौद्योगिकी परिचालन एवं स्वचालन क्षमता का विहंगावलोकन :**

- बैंक अपने पुनरभियांत्रिकीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं की समीक्षा करने का प्रयोग शुरू कर सकता है। सफल बोलीदाता को ऐसे प्रयोग के दौरान अभिज्ञात चुनौतियों पर चर्चा करनी चाहिए एवं समझना चाहिए। बोलीदाता से सूचना प्रौद्योगिकी परिचालन की संस्तुतियां/स्वचालन क्षमता के लिए कार्यान्वयन रणनीतियां प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।
- इस प्रयोग के तौर पर बोलीदाता से बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं की समीक्षा करने, उक्त का विश्लेषण करने एवं उन्नयन के क्षेत्र/बिंदुओं का सुझाव देने की अपेक्षा की जाती है।
  - बोलीदाता को सूचना प्रौद्योगिकी प्रक्रिया संशोधित करने के अपेक्षित/परिकल्पित लाभप्रदता के साथ जैसा है एवं ऐसा हो के प्रस्ताव से समाविष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
  - बोलीदाता से सूचना प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं से संबंधित जोखिमों पर प्रकाश डालने एवं उक्त को कम करने के तरीके सुझाने की भी अपेक्षा की जाती है।

- बोलीदाता से प्रत्येक अभिज्ञात सूचना प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के लिए स्वचालन क्षमता से बैंक को अवगत कराने की भी अपेक्षा की जाती है।
- इस प्रयोग के तौर पर बोलीदाता से प्रत्येक सूचना प्रौद्योगिकी प्रक्रिया के लिए एम-अभिशासन का विश्लेषण करने एवं बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं में एम-अभिशासन समाविष्ट करने में बैंक के लिए खाका तैयार करने भी अपेक्षा की जाती है।

नोट: कृपया ध्यान दें सलाहकार की संस्तुति पर आधारित कार्यान्वयन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जब भी बैंक को आवश्यक हो। बोलीदाता को अनुबंध की अवधि के दौरान बैंक द्वारा शुरू किए गये भावी परामर्शों/परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन के उपरोक्त कार्यक्षेत्र पर विचार करना है।

### **प्रदेय – चरण 1 (छः माह)**

उपरोक्त विस्तृत कार्यक्षेत्र को देखते हुए बोलीदाता से नियुक्ति के पहले 6 माह के दौरान स्थायी कार्यक्षेत्र के तौर पर निम्नलिखित प्रदेय देने की अपेक्षा की जाती है:

1. सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे की समीक्षा यथा ऊपर उल्लेख किया गया है
2. संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी दस्तावेज (4) एवं नियमावली
3. साइबर सुरक्षा नीति का मसौदा
4. संशोधित बीसीपी दिशानिर्देश/ढांचा
5. समय सीमा के साथ अभिज्ञात क्षेत्रों के लिए कार्यान्वयन दृष्टिकोण
6. डिजिटल रूपांतरण खाका एवं दृष्टि दस्तावेज

चरण 1 रिपोर्ट/निष्कर्ष एवं परियोजना का खाका की प्रस्तुति एवं बैंक द्वारा इसकी स्वीकार्यता पर पूर्ण माना जाएगा। रिपोर्ट सुनियोजित तरीके में प्रस्तुत की जाए जो स्पष्ट एवं व्यापक हो।

### **चरण II: संस्तुतियों का खाका एवं कार्यान्वयन**

समय-सीमा: 18 माह

चरण II में चरण I के कामकाजों के निष्कर्ष/संस्करणों को अपनाना एवं कार्यान्वयन करना शामिल हो सकता है। इसमें आरएफपी की तैयारी, वेंडरों की नियुक्ति एवं निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के अनुसार इसका कार्यान्वयन एवं परीक्षण के लिए परामर्श शामिल हो सकता है। परियोजना कार्यान्वयन योजना आपसी रूप से तैयार किया जाएगा एवं प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में प्राकशित किया जाएगा। तदनुसार संसाधनों की तैनीती की जाएगी।

**कार्यान्वयन का कार्यक्षेत्र:** बैंक निरंतर क्षेत्रों में विभिन्न प्रौद्योगिकी समर्थकारी परियोजनाओं की शुरू करेगा जो निम्नलिखित के अनुसार सीमित नहीं होगा। बैंक एवं सफल बोलीदाता ऐसे किसी पहलों के अनुमान के प्रयास पर सहमत होगा। बोललदाता से वाणिज्यिक बोली प्रारूप के अनुसार रेट कार्ड प्रदान करने की अपेक्षा

की जाती है। इस कार्यक्षेत्र के लिए उल्लिखित प्रयास केवल टीसीओ की गणना के लिए है एवं इसका भुगतान लागू वाणिज्यिक दरों के अनुसार किया जाएगा। प्रौद्योगिकी समर्थकारी परियोजना निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं रहेगी।

- 1) बैंक इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रौद्योगिकी समर्थकारीपरियोजनाओं की शुरूआत करेगा लेकिन निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं रहेगी:
  - i. नीति के अनुसार साइबर सुरक्षा ढांचे का अभिग्रहण
  - ii. सीएलएसएस (ऋण सहबद्ध सब्सिडी योजना)
  - iii. नेटवर्क का उन्नयन एवं अनुकूल बनाना
  - iv. दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली/व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन
  - v. विषय वस्तु प्रबंधन एवं सामाजिक उपस्थिति
  - vi. ई-अभिशासन प्रयास जैसे ग्रीन नोट स्वचालन, बैठक प्रबंधन इत्यादि
  - vii. एम-अभिशासन प्रयास
  - viii. कागज रहित कार्यालय
  - ix. डीआर साइट नवीकरण
  - x. अवसरंचना रीफ्रेश – सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रबंधन

बैंक एवं सफल बोलीदाता ऐसे किसी पहलों के अनुमान के प्रयास पर सहमत होगा। बोललदाता से वाणिज्यिक बोली प्रारूप के अनुसार वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। इस कार्यक्षेत्र के लिए उल्लिखित प्रयास केवल टीसीओ की गणना के लिए है एवं इसका भुगतान वास्तविक के अनुसार किया जाएगा।

## 2) भावी पहलों की समीक्षा

सफल बोलीदाता को कार्यान्वित किये जाने वाले सूचना प्रौद्योगिकी साधनों/उत्पादों के लिए व्यावहारिक विश्लेषण करना आवश्यक है। सफल बोलीदाता बैंक की संचालन समिति एवं प्रबंधन को अपेक्षित कार्यान्वयन समय सीमा के साथ यथा उपरोक्त अभिज्ञात, के साथ सभी संस्तुतियां, वणिज्यिक अनुमान यदि संस्तुतियों के कार्यान्वयन के लिए कोई हों, प्रस्तुत करेगा।

## 3) सूचना प्रौद्योगिकी/परिचालन/अनुरक्षण (रखरखाव)

- अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान बैंक चरण 1 की आंतरिक अपेक्षाओं/निष्कर्षों के अनुसार आरएफपी जारी करेगा। बोलीदाता से मामला दर मामला के आधार पर या तो आरएफपी तैयार करने एवं वेंडर का चयन एवं ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया पर सहायता देने या बैंक द्वारा तैयार आरएफपी में विकास के क्षेत्रों/बिंदुओं पर सुझाव देने की अपेक्षा की जाएगी। दोनों मामलों में बोलीदाता को निम्नलिखित बिंदुओं में उल्लिखित आरएफपी घटकों पर कार्य करना होगा।
- बैंक की अपेक्षाओं को समझते हुए आरएफपी दस्तावेज तैयार करना एवं निम्नलिखित निविष्टियां प्रदान करना:
  - i. आरएफपी दस्तावेज की संरचना

- ii. पात्रता मानदंड
  - पूर्व अर्हता मानदंड सुनिश्चित करना जिससे प्रासंगिक एवं अर्हताप्राप्त बोलीदाता ही प्रक्रिया में भाग लें।
- iii. कार्यक्षेत्र
  - ऑन बोर्डेड मामले में सफल बोलीदाता द्वारा सामानों/सेवाओं की पूरी पहुंचप्रदान किया जाना
- iv. कार्यपरक एवं तकनीकी विनिर्देश
  - उत्पाद/सेवाओं के लिए तकनीकी एवं कार्यपरक विनिर्देश का मसौदा तैयार करने/अंतिम रूप देने में बैंक की सहायता करना जिसके लिए आरएफपी तैयार किया जा रहा है
- v. सेवा स्तरीय करार (एसएलए) मापदंड
  - उत्पाद/सेवाओं के लिए सेवा स्तरीय करार मापदंड का मसौदा तैयार करने/अंतिम रूप देने में बैंक की सहायता करना जिसके लिए आरएफपी तैयार किया जा रहा है
- vi. निबंधन व शर्तों पर निविष्टियां
- vii. मूल्यांकन मॉडल
  - सर्वोत्तम मूल्यांकन मॉडल ( गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन, वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिए तकनीकी तौर पर अर्हताप्राप्त एल1, एल1 अथवा प्रतिकूल नीलामी) का निर्णय करने में बैंक की सहायता करना।
  - बोलीदाता से तकनीकी मूल्यांकन मापदंड को अंतिम रूप देने एवं कुल तकनीकी अंक में उनका भारांक देने में बैंक की सहायता करने की भी अपेक्षा की जाती है।
- viii. वाणिज्यिक मूल्यांकन मॉडल
- ix. तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायता करना
  - बोलीदाता जारी आरएफपी के प्रति प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन करने में भी बैंक की सहायता करेगा। बोलीदाता से प्रत्येक आरएफपी प्रक्रिया के लिए तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।
- x. अंतिम चयन एवं ऑन बोर्डिंग में सहायता करना
- xi. अनुबंध देने में सहायता करना
  - बोलीदाता बैंक एवं विशेष आरएफपीके सफल बोलीदाता के बीच अनुबंध का मसौदा तैयार करने में बैंक की विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाई गये दल (क्रास फंक्शनल) (यथा विधि, व्यापार एवं वित्त) की सहायता करेगा।
- xii. सूचना प्रौद्योगिकी आस्तियों की एसएलए लेखा परीक्षा सेवाएं, अनुप्रयोग लेखा परीक्षा, सुरक्षा लेखा परीक्षा इत्यादि
- xiii. परिवर्तित प्रबंधन योजना

#### 4) पीएम (परियोजना प्रबंधन)

- i. सफल बोलीदाता कार्यान्वयन के तहत अथवा भावी कार्यान्वयन परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन कार्यालय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। उनसे निम्नलिखित कार्य निष्पादन करने की

अपेक्षा की जाती हैं:

- i. परियोजना प्रबंधन कार्यालय की स्थापना
  - ii. परियोजना योजना की तैयारी
  - iii. परियोजना की निगरानी (समय, गुणवत्ता एवं लागत) एवं रिपोर्ट देना
  - iv. कार्यक्षेत्र का विस्तार (कवरेज)
  - v. जोखिम का आकलन एवं न्यूनीकरण योजना
  - vi. परियोजना अभिशासन एवं प्रसार इत्यादि
- ii. सलाहकार से प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए संपूर्ण परियोजना प्रबंधन जीवन चक्र भर में बैंक की सहायता करने में विशेषज्ञ परियोजना प्रबंधन संसाधन उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है।
  - iii. परियोजना से संबंधित सभी परिचर्चाओं में भाग लेना
  - iv. प्रबंधन को नियमित अद्यतन प्रदान करना जो बैंक को आवश्यक हो।
  - v. परियोजना का मूल्यांकन एवं भावी खाका रिपोर्ट प्रदान करना।

5) परामर्श देने वाली सेवाएं—सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयनों के लिए व्यापारिक नजरिया सफल बोलीदाता परामर्श देने वाली सेवाएं प्रदान करना एवं परियोजना दर परियोजना के आधार पर निम्नलिखित गतिविधियों में से सभी अथवा कुछ करना आवश्यक है।

- i. कारोबार के मामले की तैयारी (मांग का आकलन, पूंजीगत व्यय एवं परिचालन व्यय, ऋण वापसी की अवधि, लाभ व हानि लेखा इत्यादि)
  - बोलीदाता मौजूदा प्रस्तावों के भावी कार्य निष्पादन/भविष्य में परिकल्पित प्रस्तावों के लिए विस्तृत कारोबारी मामले तैयार करने में बैंक की सहायता करेगा।
  - बोलीदाता से पहल की मांग आकलन एवं प्रचालनात्मक, विधि एवं वाणिज्यिक व्यावहारिकता पर विस्तृत विश्लेषण तैयार करने की अपेक्षा की जाती है।
- ii. प्रतिस्पर्धा परिदृश्य
- iii. संभावित ओईएम/साझीदारों का अभिज्ञान एवं मूल्यांकन
  - बोलीदाता से कारोबारी परिचालन में दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से सही ओईएम एवं कारोबारी साझीदार (साझीदारों के प्रकार यथोचित उद्यम के बाद तय हों) की सूची बनाने में बैंक की सहायता करने की अपेक्षा की जाती है।
- iv. बजटीय अनुमान एवं नकदी प्रवाह का विश्लेषण
  - बोलीदाता से मौजूदा प्रस्तावों के भावी कार्य निष्पादन/भविष्य में परिकल्पित प्रस्तावों के लिए वित्तीय मॉडल तैयार करने एवं नकदी प्रवाह विश्लेषण करने की अपेक्षा की जाती है।
- v. व्यवहार्यता रिपोर्ट: क्षमताओं का आकलन, क्षमता, कमजोरी, अवसर एवं जोखिम (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण लागत लाभप्रदता विश्लेषण इत्यादि।
- vi. अनिश्चितता एवं जोखिम का आकलन

## 6) परीक्षण सेवाएं

- परीक्षण रणनीति एवं कार्यप्रणाली परिभाषित करना
- यूएटी में बैंक की सहायता करना यदि आवश्यक हो
- परीक्षण मामले का दस्तावेजीकरण एवं रिपोर्टिंग ढांचा परिभाषित करना
- कार्यान्वयन करने वाले वेंडरों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजीकरण जैसे एसआरएस/नियमावली इत्यादि की जांच

### चरण I एवं II सामान्य दिशानिर्देश:

1. चरण II बैंक के साथ समन्वयन में निष्कर्ष रिपोर्ट/संस्तुतियों इत्यादि की प्रस्तुति के आधार पर शुरू होगा। चरण I के अध्ययन से परिणामस्वरूप तैयार संस्करण कार्यान्वयन के लिए विभिन्न परियोजनाओं/खाके को मिलाकर सुनियोजित तरीके में तैयार की जाएगी। इसके उपरांत सलाहकार निम्नलिखित तालिका के अनुसार ऐसी प्रत्येक अपेक्षाओं के लिए श्रेणीबद्ध करेगा एवं तैनात करेगा।
2. चरण I एवं चरण II के दौरान तैनात किये जाने वाले संसाधन निम्नलिखित योग्यता के अनुसार होने चाहिए।

क्र.सं.	भूमिका	संसाधनों की न्यूनतम संख्या	योग्यता	कुल न्यूनतम कार्य अनुभव	प्रासंगिक प्रमाणपत्र एवं कार्य अनुभव	तैनाती की अवधि
1	परियोजना प्रबंधक (पीएम)	1	अभियांत्रिकी में स्नातक/एमबीए	5-7वर्ष	कम से कम 5 वर्षों से बोलीदाता के पेरोल पर हो। सूचना प्रौद्योगिकी का परामर्श देने एवं सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का निष्पादन करने में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव हो।	• तैनाती चरण I में आवश्यकता के अनुसार की जाएगी। • चरण II के दौरान कम से एक सप्ताह/तिमाही में की अनिवार्य तैनाती की जानी है।
2	सलाहकार (डोमेन विशेषज्ञ)	1	अभियांत्रिकी में स्नातक/एमबीए	3-5 वर्ष	कम से कम 3 वर्षों से बोलीदाता के पेरोल पर हो। सुरक्षा	• तैनाती चरण I में आवश्यकता के अनुसार की जाएगी। • चरण II के दौरान

क्र.सं.	भूमिका	संसाधनों की न्यूनतम संख्या	योग्यता	कुल न्यूनतम कार्य अनुभव	प्रासंगिक प्रमाणपत्र एवं कार्य अनुभव	तैनाती की अवधि
					आर्किटेक्चर/सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा इत्यादितैयार करने एवं कार्यान्वयन करने में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव हो।	कम से दो सप्ताह/माह की अनिवार्य तैनाती स्थल पर की जानी है।  • संविदा अवधि के दौरान सहायक कार्य हेतु कम से कम दो सप्ताह/तिमाही के लिए स्थल/स्थलेत्तर पर तैनाती अनिवार्य है।

- बैंक निरंतर आधार पर विभिन्न सहायक जॉब जैसे विषय वस्तु प्रबंधन, अधिनिर्णय सहभागिता, प्रस्तुतिकरण इत्यादि भी शुरू करता है। ऐसे कार्यक्रमों के बोलीदाता बैंक की अपेक्षा के आधार पर परामर्श सहायता/पेशेवर आलेख/विषयवस्तु उपलब्ध कराएगा। ऐसी सामग्री के महत्व को देखते हुए उसे विभिन्न पणधारकों के समक्ष प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक है। प्रासंगिक डोमेन विशेषज्ञ/सलाहकारऐसी अपेक्षा के आधार पर चरण II के दौरान न्यूनतम 2 सप्ताह प्रति तिमाही के लिए तैनात किया जाएगा।
- कृपया ध्यान दें वेंडर अनुबंधात्मक अवधि के दौरान सहायक मांग के लिए अग्रिम में दो सप्ताह पूर्व सूचित करेगा। वेंडर स्थलीय/स्थलेत्तर परामर्श/विषय वस्तु इत्यादि के लिए अपेक्षित संसाधन श्रेणीबद्ध करेगा। पूर्व प्रतिबद्ध 2 सप्ताह प्रति तिमाही से अधिक की अवधि में ऐसी तैनाती के लिए प्रासंगिक कार्य दिवस दर लागू होगी। बोलीदाता बैंक के अनुमोदन के पश्चात ही बिल बनाएगा।

### एच. बिल के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली

#### 1. भूमिका

मूल्यांकन कार्यप्रणाली का उद्देश्य अभीष्ट लागत पर तकनीकी तौर पर बेहतर साधन की सुविधा प्रदान करना है।

आरएफपी में वर्णित राष्ट्रीय आवास बैंक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए चयनित बोलीदाता के पास सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तकनीकी ज्ञान-कैसे एवं वित्तीय साधन जो आवश्यक अवसंरचना को सफलतापूर्वक स्थापित करने एवं अनुबंध की संपूर्ण अवधि के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा मांगी गयी सेवाओं के लिए आवश्यक होगी, के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने में अपेक्षित अनुभव होना आवश्यक है। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपनाये जाने वाली प्रस्तावित बोलियों की मूल्यांकन प्रक्रिया को नीचे स्पष्ट किया गया है। इसका उद्देश्य केवलबोलीदाता को मूल्यांकन प्रक्रिया का एक विचार प्रदान कराना है जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक अपना सकता है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास बिना कोई कारण बताये जो भी हो निविदा प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पर (संभावित बोलीदाताओं द्वारा तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने से पूर्व) मूल्यांकन प्रक्रिया का संशोधन करने एवं ऐसे किसी भी बदलाव पर बोलीदाताओं को अवगत कराने की किसी आवश्यकता के बिना संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक किसी अथवा सभी बोलीदाताओं से विशिष्ट स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है।

**कृपया यह भी ध्यान दें कि राष्ट्रीय आवास बैंक के पास ऐसे किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है यदि उक्त अपूर्ण पाया जाता है अथवा इस आरएफपी दस्तावेज में दिये गये विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।**

सबसे पहले वेंडर द्वारा इस आरएफपी के प्रत्युत्तर में प्रदान किये गये 'न्यूनम पात्रता मानदंड'का विवरण का खंड एच 2 में वर्णित मानदंड के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इस आरएफपी के तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रत्युत्तर पर केवल उन वेंडरों पर विचार किया जाएगा जो **न्यूनतम पात्रता मानदंड** पूरा करते हों। वेंडरों को अनुलग्नक – V में प्रदान किये गये प्रारूप में अपना प्रत्युत्तर प्रदान करना आवश्यक है।

तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन यानि गुणवत्ता सह लागत आधारित प्रणाली (क्यूसीबीएस):

अपनाये जाने वाला प्रस्तावित मूल्यांकन मानदंड गुणवत्ता सह लागत आधारित प्रणाली (क्यूसीबीएस) होगा जहां तकनीकी बोली के अंक में 80 का भारांक दिया जाएगा जबकि वाणिज्यिक बोली के अंक में 20 का भारांक दिया जाएगा।

तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रत्युत्तरों का मूल्यांकन निम्नलिखित खंडों में उल्लिखित मानदंड के आधार पर किया जाएगा।

## **2. न्यूनतम पात्रता मानदंड**

वे प्रस्ताव जो न्यूनतम पात्रता मानदंड का अनुपालन न करते हों जैसा नीचे गणना की गयी है, को अस्वीकार कर दिया जाएगा एवं उस पर तकनीकी बोली के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव में निम्नलिखित न्यूनतम पात्रता मानदंड का पालन होना चाहिए।

- i. केवल विगत प्रत्येक तीन वित्तीय वर्षों (अंतिम प्रकाशित तुलन पत्रों के अनुसार) के दौरान प्रौद्योगिकी परामर्श देने से संबंधित सेवाओं से अर्जित वार्षिक राजस्व प्राप्ति/कुल बिक्री कम से 50 करोड़ होनी चाहिए। वार्षिक राजस्व प्राप्ति/कुल बिक्री केवल परामर्श देने के खाते में होनी चाहिए।



एवं इसमें हार्डवेयर/सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की आपूर्ति एवं इससे संबंधित रखरखाव सेवाएं, पैकेज सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन इत्यादि से संबंधित बिक्री की आय शामिल नहीं होनी चाहिए।

ii. बोलीदाता ने इसमें विनिर्दिष्ट मूल्य की सूचना प्रौद्योगिकी परामर्श देने की नियुक्ति में कम से कम निम्नलिखित संख्याओं में विगत 5 वर्षों/वर्तमान कार्य निष्पादन (31/03/2016) में सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

1. इसी तरह की दो परियोजनाएं जो 1 करोड़ रुपये से कम न हो  
अथवा

2. इसी तरह की तीन परियोजनाएं जो 0.5 करोड़ रुपये से कम न हो

iii. आईएसओ 9001/आईएसओ 27001 का प्रमाणपत्र

iv. बोलीदाता व्यक्तिगत संगठन होना चाहिए। सहायता संघ को अनुमति नहीं है।

v. कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत कंपनी अथवा सेवा कर प्राधिकरणों से पंजीकृत एलएलपी अधिनियम, 2008 के अधीन पंजीकृत साझेदारी फर्म हो एवं विगत पांच वर्षों से कारोबार कर रही हो।

vi. बोलीदाता के पास अपनी सूची (रोल) में सूचना प्रौद्योगिकी परामर्श देने/वेंडर का मूल्यांकन करने, सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिप्राप्ति की परियोजना/कार्यक्रम प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीकी रूप से योग्यता प्राप्त कम से कम 100 कर्मियों का स्टाफ हो जिनके पास उपरोक्त सलाहकार सेवाएं प्रदान कराने पूर्व अनुभव के साथ प्रासंगिक डिग्री/प्रमाण पत्र हो। यह अत्यंत आवश्यक है कि बोलीदाता सौंपी गई परियोजना, कार्य का संक्षिप्त विवरण, निविदा के कार्य क्षेत्र से संबंधित प्रस्तावित प्रत्येक संसाधनों की अवधि का विवरण प्रदान करे। बोलीदाता के पास अपनी सूची (रोल) में सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिप्राप्ति, ई-व्यापार, प्रोग्राम/परियोजना प्रबंधन सहित सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजना में परामर्श देने वाले सेवाओं के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्षों के सिद्ध अनुभव के साथ तकनीकी रूप से योग्यता प्राप्त कम से कम 20 सूचना प्रौद्योगिकी परामर्श देने वाला स्टाफ हो एवं जो प्रासंगिक डिग्री धारक हो व 31 अगस्त, 2016 को उपरोक्त परामर्श सेवाओं प्रदान करने में पूर्व अनुभव रखता हो। उक्त के लिए एचआर अथवा सीएस से प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र होना आवश्यक है।

vii. बोलीदाता के पास कम से कम एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में विगत 5 वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी परामर्श देने वाली सेवाएं प्रदान करने का अनुभव हो।

viii. बोलीदाता पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2013-14 to 2015-2016) के दौरान निवल आय सकारात्मक होनी चाहिए।

ix. कंपनी कभी भी किसी नियामक/सांविधिक निकाय द्वारा काली सूची में अथवा अयोग्य घोषित अथवा वर्जित न की गयी हो।

x. कंपनी की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं मुंबई में मौजूदगी होनी चाहिए।

### 3. तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन

- i. बोलीदाता से प्राप्त न्यूनतम पात्रता मानदंड की बोलियां बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोली जाएगी जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अधिसूचित अनुसूची के अनुसार उपस्थित रहने की इच्छा रखते हैं। इसके उपरांत राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। 'न्यूनतम पात्रता मानदंड'के प्रत्युत्तर के आधार पर बोलीदाता का तकनीकी मूल्यांकन के लिए छांट्टा जाएगा।
- ii. तकनीकी बोली का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाएगा जिसके आधार पर प्रत्येक बोली को सापेक्षिक तकनीकी अंक (आरटीएस) दिया जाएगा। 89 के अंक (कट ऑफ मार्क) से अधिक अथवा बराबर आरटीएस प्राप्त करने वाली तकनीकी बोलियां बाद के दौर में विचार के लिए पात्र होंगी। तकनीकी मूल्यांकन के मापदंड को व्यापक तौर पर निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

#### 4. अंक का वितरण

अधिकतम अंक: 100

क्र. सं.	मानदंड	मानदंड के अंक	अधिकतम मानदंड अंक
1	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में सूचना प्रौद्योगिकी परामर्श सेवाएं देने का अनुभव		अधिकतम अंक 20
	>5को परामर्श	20	
	>2एवं<=5कोपरामर्श	15	
	न्यूनतम 2 को परामर्श	10	
2	भारत में परामर्श देने के कारोबार में अनुभव		अधिकतम अंक 20
	> 10 वर्ष	20	
	>7 एवं<=10	15	
	> 5 वर्ष एवं <=7	10	
3	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं/के लिए संतौषजनक सेवा प्रमाणपत्र/परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र (वर्तमान एवं वैध हो)		अधिकतम अंक 15
	> 5 ग्राहकों से प्रमाणपत्र	15	
	> 3 एवं <=5 ग्राहकों से प्रमाणपत्र	10	
	<= 3 ग्राहकों से प्रमाणपत्र	05	
4	31 मार्च, 2015 को पेट्रोल पर (पूर्णकालिक) पर सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकारों की संख्या जो न्यूनतम एमबीए/एमसीए/बीई/बी.टेक अथवा कम से कम 5 वर्षों का सिद्ध अनभव के साथ समकक्ष योग्यता रखते हों।		अधिकतम अंक 15
	• 200 से अधिक	15	
	• 100 से अधिक एवं 200 से कम	10	
		05	

	• 100		
5	सूचना प्रौद्योगिकी परामर्श से विगत 2 वर्षों (वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2015-16 में औसत कारोबार		अधिकतम अंक 10
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 करोड़ से अधिक</li> <li>• 75 से 100 करोड़</li> <li>• &gt;50 &lt;= 75 करोड़</li> </ul>	10 07 05	
6	प्रस्तुतिकरण		अधिकतम अंक 20

**नोट:**

- i. बोलीदाता को उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक मानदंड के लिए सहायक दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध करानी है ऐसा न करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
- ii. कुल 80 अंक (प्रस्तुतिकरण के अंकों को छोड़कर) से अधिक अथवा में से 65 अंक का कुल अंक प्राप्त करने वाली तकनीकी बोलियां प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए पात्र होंगी।
- iii. तकनीकी बोली के लिए न्यूनतम अर्हता अंक कुल 100 अंक (प्रस्तुतिकरण के अंक सहित) में से 80 अंक (कट ऑफ अंक) होगा।

**5. वित्तीय बोली**

तकनीकी बोली के अपेक्षित मानदंड की सफलतापूर्वक अर्हता रखने वाली कंपनियों पर ही वित्तीय बोली के दौर की पात्रता के लिए विचार किया जाएगा।

वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगा:

- ◆ सबसे न्यूनतम बोली को 100 अंकों का अधिकतम वित्तीय अंक दिया जाएगा।
- ◆ अन्य वित्तीय बोलियों के वित्तीय अंक की गणना सबसे कम मूल्यांकित वित्तीय बोली के सापेक्ष में की जाएगी।
- ◆ वित्तीय अंक गणना करने की कार्यप्रणाली निम्नलिखित है:  

$$\text{वित्तीय अंक (विचाराधीन बोली)} = \frac{100 \times \text{कीमत (सबसे बोली)}}{\text{कीमत (विचाराधीन बोली)}}$$

**i. अंतिम प्रक्रिया**

क) प्रस्तावों को निम्नलिखित विवरणानुसार लागू भारांकों के साथ तकनीकी एवं वित्तीय अंकों को मिलाकर प्राप्त उनके अंतिम अंक के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जाएगा।

अंतिम अंक (एफएस) = तकनीकी अंक X टी + वित्तीय अंक X एफ  
(टी-तकनीकी बोली को दिया गया भारांक, एफ-वित्तीय बोली को दिया गया भारांक, टी + एफ = 1)

ख) बोलियों के भारांक निम्नलिखित तालिका के अनुसार है:

I.	तकनीकी बोली	टी	80%
II.	वित्तीय बोली	एफ	20%
कुल भारांक			100%

ग) एल 1 के चयन का मानदंड

- उपरोक्तानुसार उच्चतम अंतिक अंक (एफएस) प्राप्त करने वाले बोलीदाता को एल 1 बोलीदाता के तौर पर चयन किया जाएगा।
  - एल 1 बोलीदाता को बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाएगा यदि आवश्यक हो।
- कृपया ध्यान दें बैंक के पास मूल्यांकन मानदंड, कार्यप्रणाली, अंक वितरण एवं भारांक का संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है यदि ऐसा करना आवश्यक हो।

### जी. वाणिज्यिक निबंधन व शर्तें

बोलदाताओं से अनुरोध है कि वे इस परियोजना की निम्नलिखित वाणिज्यिक निबंधन व शर्तों पर ध्यान दें।

#### 1. आरएफपी की लागत

बोली की कीमत 5000 रुपये तय की गयी है। बोलीदाता को 'तकनीकी प्रस्ताव' (कृपया एफ 12 देखें) के लिफाफे में 5000 रुपये (पांच हजार रुपये मात्र) आवश्यक रूप से जमा करना है। ई भुगतानके साक्ष्य के बिना प्राप्त कोई बोली अनुत्तरदायी माना जाएगा एवं उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

#### 2. मुद्रा

बोलदाता से अनुरोध है रुपये में अपनी कोटेशन दें। रुपये से अलग मुद्रा में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

#### 3. मूल्य

- i. बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत में सभी प्रकार की लागतें शामिल होनी चाहिए।
- ii. कीमत पांच वर्षों की पूरी अनुबंध की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- iii. कीमत में वाणिज्यिक बोली के अनुसार सभी कर, शुल्क, उदग्रहण प्रभर, ढुलाई, बीमा, चुंगी इत्यादि शामिल होने चाहिए।

- iv. बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत बोलीदाता के अनुबंध के कार्य निष्पादन यानि पांच वर्षों की अवधि एवं उससे अधिक बढ़ाई गयी अवधि यदि राष्ट्रीय बैंक को आवश्यक हो, के दौरान स्थिर रहेगी।
- v. समायोज्य कीमत युक्त कोटेशन के साथ प्रस्तुत बोली को अनुत्तरदायी समझा जाएगा एवं उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- vi. अनुबंधित दरों के आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक पिछले वर्ष के कार्य निष्पादन की समीक्षा के बाद वार्षिक रूप से आदेश (आर्डर) देगा।
- vii. किसी प्रकार की भावी अपेक्षा (मांग) के लिए वाणिज्यिक प्रस्ताव में उल्लिखित दरों के अनुसार अनुबंधित कार्य दिवस एवं इस आरएफपी में लागू निबंधनों के अनुसार आदेश दिया जाएगा। आदेश स्वीकार करने पर बैंक के विवेक पर इस आरएफपी की दंड व निरस्त करने की शर्तें लगाई जाएगी

#### 4. स्वीकरण

स्वीकरण परीक्षण, स्वीकरण परीक्षण योजना (एटीपी) के अनुसार किया जाएगा जो जारी किया जाएगा। साधन केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब स्वीकरण परीक्षण सहमत योजना के अनुसार पूरी हो जाय एवं बैंक व सेवा प्रदाता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित/प्रमाणित हो।

#### 5. भुगतान की शर्तें

कोई भी भुगतान एसएलए पर हस्ताक्षर होने के पश्चात की जारी किया जाएगा।

भुगतान की शर्तें निम्नानुसार हैं:

1. चरण 1 (छ माह) के लिए भुगतान आरएफपी की शर्तों के अनुसार चरण पूरा होने के पश्चात किया जाएगा। 1 वर्ष की वैधता के साथ समतुल्य मूल्य की पीबीजी प्रस्तुत करने के पश्चात ही भुगतान अग्रिम में जारी किया जा सकता है।
2. राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा चरण II (18 माह) के लिए परामर्श/सहायता प्रभार का भुगतान इसके प्रारंभ होने के बाद प्रत्येक तिमाही के आखिर में तिमाही आधार पर किया जाएगा। समतुल्य वैधता अवधि के समतुल्य मूल्य की पीबीजी प्रस्तुत करने के पश्चात ही भुगतान अग्रिम में किया जा सकता है।
3. बोलीदाता प्रत्येक तिमाही के आखिर के बाद जिसमें परामर्श प्रदान किया गया है, बैंक को प्रदान की गई सेवाओं का समय पत्र एवं विवरण प्रस्तुत करेगा। भुगतान की गणना अनुबंध के नियमों के अनुसार की जाएगी एवं बैंक से अनुमोदन मिलने के पश्चात ही भुगतान किया जाएगा।
4. पूर्व प्रतिबद्ध कार्य दिवस का भुगतान तिमाही के आखिर में तिमाही आधार पर किया जाएगा।
5. किसी प्रकार की अतिरिक्त मांग होने पर आरएफपी की वाणिज्यिक शर्तों के आधार पर बिल भेजा जाएगा। बोलीदाता बैंक का अनुमोदन लेने के बाद ही बिल प्रस्तुत करेगा।
6. सलाहकार अनुबंध का भुगतान यदि 24 माह के बाद बढ़ाया जाता है तो आरएफपी की भुगतान की शर्तों की सीमा के अनुसार किया जाएगा।

#### 6. अनुबंध की समाप्ति के मामले में भुगतान

यदि अनुबंध समाप्त हो जाता है तो सेवाओं के लिए भुगतान लागू दंड एवं टीडीएस/अन्य कर काटने के

पश्चात आपूर्ति सेवाओं की अवधि के लिए समानुपातिक आधार पर किया जाएगा।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

[www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) – What's New